

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्दा दीवान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-132/2023

रजनीश पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

ब न म

1. श्रीराम चौधरी पुत्र हरफूल जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीप पुत्र हरफूल जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रमिला पुत्री हरफूल जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज पुत्र हरफूल जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. अनमोल पुत्र कुलदीप जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. उर्वशी पुत्री कुलदीप जाति जाट साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

दिनांक :- 21/04/2025

वादीया की ओर से श्री हीरालाल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री बलवीर मोयल व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से श्री प्रवीण सहू अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पर एवं दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है-

1. वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :-

| चक | प.नं. | किला | तादादी |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 44 एनडीआर | 65/346 | 3/1/.137, 3/2/.015, 4/1, 4/2 5/1/.101, 5/2/.039, 6/1, 6/2,7, 8/.162, 13/.162, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/.162, 23/.162, 24. 25/1, 25/2 | |



3.217 हेक्. पूर्वी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख. प्रतिवादी सं. 5 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

| चक | प.नं. | किला |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 एनडीआर | 65 / 346 | 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1 / .091 3 / 2 / .010, 8 / .091, 9 ता 12, 13 / .091, 18 / .091, 19 ता 22, 23 / .091, 5 / 1 / .101, 5 / 2 / .012 |



3.108 है.
पश्चिमी

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेनसहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा